

period of time, even as late as May and June. I found that instead of giving cognisance to the genuine demands of the employees the management there is behaving in a most arrogant way. It should not have been so because this is a new plant and it has made a good progress in production. It has also got a certificate from the Chief Executive and he also conveyed his greetings to the employees. But the local management there is not treating the employees in a justified manner. What are the reasons? Why are they on strike? During negotiations they were told that gift bonus for the year 1991 would be given to them. But that has not been given. Then there was a question of productivity-linked bonus at a rate of 23 per cent as was given to the Kota Project under the same Atomic Energy Department.

We found that at Manuguru they were trying to reduce it to 10 per cent instead of 23 per cent which they should have got on a par with the Kota Project in Rajasthan. But that is not done. We also found that they were trying to make a distinction between the permanent employees and the temporary employees. Secondly, we find that the production linked bonus has been reduced. It has not been given. Not only that, over and above these things they are supposed to give the workers a project allowance which used to be paid at the rate of 100 per cent up to the middle of last year. Suddenly this was reduced to 75 per cent by the end of last year. Now they want to reduce it to 50 per cent on the ground that certain amenities have been provided. We find from the records the amenities for the absence of which this allowance was being paid have not been provided to them and still they want to reduce the allowance from 75 per cent to 50 per cent. All these things put together and in spite of the discussions, they have not reached any settlement.

I would request, through you, the concerned Ministry that there should be an immediate solution to the problem. The agitated employees have already

stopped work, they have given strike notice and yet there is no response from the management. From 14th July, for two weeks they have been on strike and the management is thinking of declaring a lockout. This project is under the Department of Atomic Energy and we cannot take the risk of closing down such a project under the present circumstances. I urge through you, Mr. Vice-Chairman, the Government should immediately intervene and settle the issue. Because of the strike, the leader of the association, the Secretary, Mr. Narayana, and the Vice-President, Mr. Durge Rao, were suspended in a vindictive manner. They should be taken back and negotiations should start so that a settlement is reached on the issue. That is what I am urging, through you.

**SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO** (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I associate myself with the issue raised by my colleague, Shri Ashis Sen. Actually the project is in Andhra Pradesh and it is a very important project under the Prime Minister's portfolio. For the last 15 days the strike is going on and the management is not concerned about it. On the other hand, they are making use of unskilled black legs which is very dangerous. Already one person burnt his face Three hundred and forty tonnes of gas is produced there and if they make use of unskilled workers it is dangerous. So I would urge upon and Prime Minister to intervene immediately and see that the matter is settled.

**Hardships being faced by workers of a cement factory at Sawai Madhopur in Rajasthan due to its closure**

**श्री शिवशरण सिंह (राजस्थान) :**  
माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करता हूँ। सवाईमाधोपुर में जयपुर उद्योग नाम की एक सीमेंट फैक्ट्री थी जो सारे देश में प्रथम श्रेणी की फैक्ट्री थी, जहाँ पर लगभग 5 हजार मजदूर थे, वह फैक्ट्री 1987 से बंद

[श्री शिवबल्लभ सिंह]

पड़ी है। इस फैक्टरी के रिहबिलिटेशन के लिए जयपुर उद्योग का जो मामला था बी.आई.एफ.आर. के सामने रखा गया। बी.आई.एफ.आर. संस्था ने इसके बारे में डिसीजन लिया कि 6 से 7 लाख रुपया यह गैरन डेकरले एण्ड कंपनी इसके लिए जमा करायेंगी। इसके जो फैसले हुए हैं उनमें तीन बार गलती से न जाने किस कारण से या तो ये कंपनी वाले करवाते हैं या टाईप मिस्टेक हुई है इसके फैसलों में ऊपर रकम कुछ लिखी जाती है और नीचे उसके आंकड़ कुछ दे दिए जाते हैं इस कारण से यह मामला डिले हो रहा है इस फैक्टरी के 5 हजार मजदूर लगातार सन् 1987 से आज तक वहाँ हाजिरी देते हैं और उनकी वाकायदा हाजिरी होती है और वे वहाँ रह रहे हैं। 1987 से आज तक अंदाज के लिए 5 साल तक 5 हजार मजदूरों को कोई वेतन नहीं है, कोई उनके लिए गुजारा नहीं है।

मैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी इस कंपनी को पाबंद करें, क्योंकि यह जो कंपनी है यह इस प्रकार की बीमारियों को लेती है, इसी प्रकार की इन्होंने इस कंपनी ने एक हुकम बंद मिल इंदौर से ली थी, उसको भी इसी तरह से लटकाया और उसको चालू नहीं किया। मैं आपके माध्यम से इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कंपनी को पाबंद करें और अगर यह कंपनी नहीं लेती हो तो किसी दूसरी कंपनी को दे करके और इस कंपनी को चलवाने की चेष्टा की जाए, इतना मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

**श्री मूलचन्द शीषा (राजस्थान) :** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात के साथ अपनी बात जोड़ता हूँ कि सवाईमधोपुर में सीमेंट फैक्टरी को बंद हुए करीब 4-5 साल हो गए हैं और वहाँ पर पांच हजार मजदूरों की दयनीय आर्थिक स्थिति है (व्यवधान) उसके देखते हुए बी.आई.एफ.आर. का जो फैसला हो गया तो इस फैक्टरी को चालू करने में बेरी क्या है? इसको जल्दी

से जल्दी चालू करना चाहिए, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ।

**Coniraversial purchase of Electric Locomotives and Railway Minister's alleged link with ABB**

**श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) :** उपसभाध्यक्ष जी, रेल मंत्रालय ने रेल गाड़ियों के 6 हजार हास पावर के शक्ति-शाली इंजन खरीदने का 6 हजार करोड़ का ठेका एक विदेशी कंपनी आशिया ब्राउन बावरी को दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, संसद के दोनों सदनों में इस ठेके के संबंध में अनेक संदेह व्यक्त किए गए थे। हमारे इस सदन में भी तत्कालीन बिपक्ष के नेता श्री जयपाल रेड्डी जी ने अनेक प्रश्न उठाए थे जिनमें से कि एक भी प्रश्न का उत्तर आज तक रेलवे मंत्री ने नहीं दिया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह ठेका इस कंपनी को न दिया जाय, ऐसी आवृत्ति बिल मंत्रालय ने उठायी थी, विविधा समिति ने भी इस निर्णय को गलत माना था। रेलवे मंत्रालय के त्रिपुठ अधिकारी भी इस निर्णय के विरोध में थे, फिर भी इन सारे विरोधों के बावजूद रेलवे मंत्री ने अपने स्वयं के अधिकार में यह निर्णय लिया जिस पर कि अनेक संदेह व्यक्त किए गए हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, कब तक हम ने रेलवे मंत्री के व्यवहार पर संदेह व्यक्त किया था और उनका निर्णय गलत माना था, लेकिन किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था जिसके कारण कि रेलवे मंत्री जी की इसमें कोई विशेष रुचि व्यक्त हो। पर अब यह स्थिति आई है कि रेलवे मंत्री और आशिया ब्राउन बावरी कंपनी के बीच में एक सम्मन, एक नेक्सस जिसे कि पहले हम प्रस्थापित नहीं कर पाए थे केवल संदेह व्यक्त कर सकते थे, अब यह नेक्सस प्रमाणित करने का प्रमाण पत्र भी मिला है जिससे कि यह स्पष्ट हो जाता है कि रेलवे मंत्री और इस कंपनी के बीच कोई न कोई प्रकार का नाता था जिसके कारण यह निर्णय लिया गया हो। उपाध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में रेलवे मंत्री की भांजी के विवाह का निमंत्रण